



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

.202

बनाम हलीम खान खादि

किस्म मुकदमा मु.नं. 200 वर्ष 2025
2/2RTA

दिनांक	आज्ञा - पत्र
23 $\frac{12}{25}$	<p>वकील प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन बाबत स्थगन इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 22.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर </p>
22 $\frac{01}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक <u>30 $\frac{01}{26}$</u> को पेश हो।</p>
30/1/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी को इवलेक करवा कर पत्रावली के मीति कुतोष के द्वारा साब लीगुप से संबन्धित डेक के फुवर्न के कोरिडियर को सामान सहायक करवा (वीवी) सीकर के भेजे। इसका पत्रावली किजारी करी से पत्रावली करवा के करे (पत्रावली)</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर </p>

